संख्या– 708 / 79–6–2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
2–समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
3–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 22-जुलाई, 2013

विषय–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में शुद्धता एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य स्रोतों से ज्ञात सूचनाओं के अनुसार यह तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाला खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की साफ–सफाई, गुणवत्ता एवं स्वच्छता में शिथिलता बरती जा रही है। इस संबंध में शासनादेश संख्या–1429 / 79–6–04–1(6) / 2000टी.सी.–3 दिनांक 25.06.2004, शासनादेश संख्या–1646 / 79–6–04–1(6) / 2000टी.सी. दिनांक 23.07.2004 एवं शासनादेश संख्या–2657 / 79–6–07 दिनांक 04.10.2007 तथा निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–म0भो0प्रा0 / सी–1718 / 2013–14 दिनांक 18.07.2013, पत्रांक–म0भो0प्रा0 / सी–1719 / 2013–14 दिनांक 18.07.2013 द्वारा निर्गत निर्देशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजना एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकृति की योजना है, अतः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन की शुद्धता एवं गुणवत्ता के संबंध में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– मध्यान्ह भोजन योजना के जनपद में नोडल अधिकारी जिलाधिकारी होते हैं, अतएव जिलाधिकारियों से भी अपेक्षा है कि वे समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या, शासन / मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को भी उपलब्ध करायें। चूँकि उक्त योजना के कियान्वयन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होती है, अतएव मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की विषम स्थिति के लिए सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,
22.7.13
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

GO RP

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक)/(माध्यमिक), उ0प्र0 लखनऊ
4. समस्त, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।

GO RP

संख्या– 708/79–6–2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
2–समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
3–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2013

विषय–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में शुद्वता एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य स्रोतों से ज्ञात सूचनाओं के अनुसार यह तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाला खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की साफ–सफाई, गुणवत्ता एवं स्वच्छता में शिथिलता बरती जा रही है। इस संबंध में शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000टी.सी.–3 दिनांक 25.06.2004, शासनादेश संख्या–1646/79–6–04–1(6)/2000टी.सी. दिनांक 23.07.2004 एवं शासनादेश संख्या–2657/79–6–07 दिनांक 04.10.2007 तथा निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–म0भो0प्रा0/सी–1718/2013–14 दिनांक 18.07.2013, पत्रांक–म0भो0प्रा0/सी–1719/2013–14 दिनांक 18.07.2013 द्वारा निर्गत निर्देशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजना एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकृति की योजना है, अतः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन की शुद्वता एवं गुणवत्ता के संबंध में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– मध्यान्ह भोजन योजना के जनपद में नोडल अधिकारी जिलाधिकारी होते हैं, अतएव जिलाधिकारियों से भी अपेक्षा है कि वे समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या शासन/मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को भी उपलब्ध करायें। चूँकि उक्त योजना के कियान्वयन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होती है, अतएव मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की विषम स्थिति के लिए सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

GO RP

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक)/(माध्यमिक), उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

2/7/17

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।

GO RP